11

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 20/2022

दायर दिनांक–14.02.2022

1. मनीराम पुत्र श्री हीरारम जाति माली निवासी नीम की ढाणी तन झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

– वादी

बनाम

1. जोहर सिंह पुत्र मेघ सिंह
2. डुगर सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह
3. नगेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह
4. समदर सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण नीम की ढाणी तन झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

वकील वादी : – श्री सज्जन चाहर
वकील प्रति॰ नं. :– श्री अमर सिंह शेखावत

दावा बाबत घोषणार्थ व नक्शा दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 19.09.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 16 पुराना खाता संख्या 268 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1538 रकबा 0.9300 है0 स्थित है जो वादी की क्रयशुदा कृषि भूमि है। तथा इस भूमि में वादी के अलावा अन्य खातेदार भी है। तथा इसी ग्राम में खाता संख्या नया 53 पुराना 200 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 1846/1538 रकबा 0.9400 है0 स्थित है जो प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि है।

वादी की खसरा भूमि नम्बर 1538 जो नजरिये नक्शे में दर्शित भूमि Y स्थान पर स्थित है ओर Y स्थान पर ही वादी व वादी के अन्य सह खातेदार का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 1846/1538 जो X स्थान पर है वह प्रतिवादीगण की भूमि है ओर X स्थान पर है वह प्रतिवादीगण की भूमि है ओर X स्थान पर प्रतिवादीगण का कब्जा है X स्थान पर प्रतिवादीगण ने मौके पर निर्माण कर रखा है तथा एक चाह भी बना रखा है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने नक्शे में गलती करके जहां वादी व वादी के अन्य सहखातेदारों की भूमि दर्शित होनी चाहिए थी वहां पर प्रतिवादीगण की भूमि दर्शित कर दी ओर जहां प्रतिवादीगण की भूमि दर्शित होनी चाहिए थी वहां पर वादी व अन्य सह खातेदारों की भूमि दर्शित कर दी। राजस्व कर्मचारियों ने नक्शे में विभाजन रेखा को उत्तर से दक्षिण कर दिया जबकि विभाजन रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर होनी चाहिए थी दोनों खसरों में बराबर भूमि है रकब का कोई विवाद नही है लेकिन मौके का विवाद है इसलिए मौके के अनुसार मौके पर कब्जे के अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है इसलिए उक्त नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में घोषणा व नक्शा दुरूस्ती का दावा श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी को अपने स्थान की भूमि [illegible] के अनुसार जो राजस्व रिकॉर्ड में गलत है उस गलत रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाक [illegible] बनवाना चाहता है मौके पर वादी का कब्जा वाद पत्र के साथ सं[illegible] स्थान का रकबा 0.9300 है0 स्थित है। इस रकब [illegible] 1/3 हिस्से पर अन्य सह खातेदारों का कब्जा है। इसी प्रकार [illegible] पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ल[illegible] 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है रकबा 0.9400 है0 तथा रिकॉर्ड [illegible] अनुसार इनका कब्जा है। कब्[illegible] अुनसार नक्शा दुरूस्ती करवाने के लिये उक्त वाद श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

यह कि वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। वादी व प्रतिवादीगण दोनों नक्शा दुरूस्त करवाने में सहमत है अगर वादी के कब्जे के अनुसार नक्शा दुरूस्त नही किया जायेगा तो प्रतिवादीगण को अपने मकानों का निर्माण तोड़ना पड़ेगा जिसकी क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण को काफी होगी तथा काफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:30:40 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

होगी। वादी को भी अपने कब्जे से महरूम होना पड़ेगा इसलिए मौके पर वादी व प्रतिवादीगण की कब्जे के अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

वादी द्वारा वाद–पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 16 पुराना खाता संख्या 268 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1538 रकबा 0.9300 है0 स्थित है जो वादी की क्रयशुदा कृषि भूमि है। जिसमें वादी का 2/3 हिस्सा स्थित है तथा इसी ग्राम में खाता संख्या नया 53 पुराना 200 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 1846/1538 रकबा 0.9400 है0 जो प्रतिवादीगण की कृषि भूमि है। वादी व वादी के सहखातेदारों की खसरा भूमि 1538 जो नजरिये नक्शे में दर्शित भूमि Y स्थान पर स्थित है और Y स्थान पर ही वादी व वादी के सहखातेदारों का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 1846/1538 जो X स्थान पर है वह प्रतिवादीगण की भूमि है ओर X स्थान पर ही प्रतिवादीगण का कब्जा है। नक्शे में जो विभाजन रेखाा उत्तर से दक्षिण दर्शाई है उसको हटाकर पूर्व से पश्चिम किया जावें। नजरी नक्शे में बिन्दु ए. से बी. दर्शित है उस नजरिये नक्शे के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें व घोषणा की जावें तथा नक्शे की घोषणा व दुरूस्ती के आदेश की तहरीर तहसीलदार नवलगढ़ को भेजी जावें। अन्य सिद्वी जो चाही जाने से रह गई हो तथा वादी के हक में पड़ती हो तो वही भी दिलवाई जावें।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिसटर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकील श्री अमर सिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4 व 5 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध दिनांक 25.03.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

इसके पश्चात प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 15.09.2022 को प्रतिवादी नम्बर 02 एंव वकील अधीवक्ता प्रतिवादी नम्बर 02 ने उपिस्थत हो सहमति प्रदान की गई कि वादी द्वारा वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद वादी स्वीकार/डिक्री की जाती है तो प्रतिवादी नम्बर 02 को कोई ऐतराज नही है।

प्रतिवादी संख्या 02 की ओर सहमति प्रस्तुत होने पर प्रकरण में स्वीकारोक्ति में शहादत की लिया जाना आवश्यक नही है। बहस अंतिम बगौर सुनी गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के वाद को प्रतिवादी नम्बर 02 द्वारा स्वीकार करने की स्वीकारोक्ति प्रदान की गई है। स्वीकोरोक्ति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः स्वीकारोक्ति के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 16 पुराना खाता संख्या 268 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1538 रकबा 0.9300 हैक्टर भूमि में वादी का 2/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड तथा इसी ग्राम में खाता संख्या नया 53 पुराना 200 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 1846/1538 रकबा 0.9400 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगणो की खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादी व वादी के सहखातेदारों की खसरा भूमि 1538 जो नजरिये नक्शे में दर्शित भूमि Y स्थान पर स्थित है और Y स्थान पर ही वादी व वादी के सहखातेदारों का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 1846/1538 जो X स्थान पर है वह प्रतिवादीगण की भूमि है ओर X स्थान पर ही प्रतिवादीगण का कब्जा है। नक्शा ट्रेश में जो विभाजन रेखा उत्तर से दक्षिण दिशा में दर्शाई है उसको हटाई जाकर वाद पत्र में संलग्न नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बी पूर्व से पश्चिम दिशा दर्शित है, के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है। नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न भाग होगा। तहसीलदार नवलगढ़ आदे[illegible] है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अ[illegible] अपन[illegible]न करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज [illegible] जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **19.09.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:30:40 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर. (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ व नक्शा दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 20/2022 **(मनीराम बनाम जोहर आदि)**

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 19.08.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 16 पुराना खाता संख्या 268 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1538 रकबा 0.9300 हैक्टर भूमि में वादी का 2/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड तथा इसी ग्राम में खाता संख्या नया 53 पुराना 200 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 1846/1538 रकबा 0.9400 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगणो की खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादी व वादी के सहखातेदारों की खसरा भूमि 1538 जो नजरिये नक्शे में दर्शित भूमि Y स्थान पर स्थित है और Y स्थान पर ही वादी व वादी के सहखातेदारों का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 1846/1538 जो X स्थान पर है वह प्रतिवादीगण की भूमि है ओर X स्थान पर ही प्रतिवादीगण का कब्जा है। नक्शा ट्रेश में जो विभाजन रेखा उत्तर से दक्षिण दिशा में दर्शाई है उसको हटाई जाकर वाद पत्र में संलग्न नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बी पूर्व से पश्चिम दिशा दर्शित है, के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है। नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न भाग होगा। तहसीलदार नवलगढ आदेश दिये जाते है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.09.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:30:40 IST
Reason: SelfAttested